UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

e-mail id:< dgmir.uppcl@zmail.com>

संख्या–3152–औ0सं0/2012–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 08,अक्टूबर, 2012

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषयः– बाहय सेवा प्रदाता (ठेकेदारों/संविदाकारो) के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तो, मजदूरी भुगतान एवं दुर्घटनाओं आदि विषयक निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं0–1381–औस/2012–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 15.05.2012 द्वारा वाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान, दुर्घटना बीमा, ई0पी0एफ0 कटौती, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, पहचान पत्र आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये है एवं इन आदेशो का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक खण्ड के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु पत्र संख्या–2348 औस/2012–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 03.08.2012 द्वारा अनुरोध किया गया है, उक्त के साथ ही कारपोरेशन के पत्र संख्या–2402 औस/2012–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 09.08.2012 द्वारा प्रत्येक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर कार्य कर रहे संविदा कर्मियों का विवरण व सूची निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश भी प्रेषित किये गये है, किन्तु कारपोरेशन के उक्त वर्णित दिशा निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हो सकी है।

इस सम्बन्ध में पत्र सं0–2858–औस/2012–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 13.09.2012 द्वारा वितरण क्षेत्र के सभी मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे कारपोरेशन द्वारा संविदा कर्मियों के नियोजन के सम्बन्ध में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएं एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये किन्तु वांछित सूचनाएं कारपोरेशन को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है। यह एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है जिसके कारण श्रम संघ आन्दोलित है। श्रम सेवा संघो के माध्यम से निरन्तर यह संज्ञान में आ रहा है कि कारपोरेशन के निर्देशों का अनुपालन संविदाकारो/ बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप सहमत होंगे कि यह स्थिति कदापि उचित प्रतीत नहीं होती इससे जहाँ एक ओर औद्योगिक अशान्ति व आन्दोलन बढ़ रहे है वहीं दूसरी ओर कारपोरेशन की छवि भी धूमिल हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संविदा कार्मिकों के नियोजन के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन यथा न्यूनतम मजदूरी का चेक से नियमित भुगतान, पी0एफ0 कटौती, सुरक्षा उपकरणो की उपलब्धता, पहचान पत्र व दुर्घटना के नियन्त्रण के बिन्दुओं पर डिस्काम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाय और अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये एवं अनुपालन में जिस स्तर पर कठिनाई आ रही है उसके निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही भी कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(ए0 के0 सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

प्रति, अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं. 407, शक्ति भवन, लखनऊ कृपया उक्त आदेश को www.uppcl.org पर अपलोड कराने की कृपा करें।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)